भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1177

उत्तर देने की तारीख- 11/12/2023

पीवीटीजी का विकास

†1177. सुश्री देबाश्री चौधरी:

श्रीमती पूनम महाजन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के संरक्षण और विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी के विकास के लिए उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने का है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों के बीच इन सबसे कमजोर वर्गों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के उद्देश्य से "पीवीटीजी के विकास" का योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा राज्यों द्वारा जनजातीय उप-योजना निधियों से विकास परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा (एसटी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****